The Madhya Pradesh Rajmarg Nidhi Adhiniyam, 2012

Act 18 of 2012

Keyword(s):
Concession Agreement, Concessionaire, Construction, Depelopment Cost, Fund, Highway, Infrastructure Projects, Premium

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल 2012—वैशाख 5, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 2469-164-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 अप्रैल 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१२

मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, २०१२.

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि

३. निधि की स्थापना.

४. निधि का उपयोग.

अध्याय—तीन

कार्यकारी समिति का गठन, संघटन, शक्तियां और कृत्य

५. कार्यकारी समिति का गठन तथा संघटन.

६. कार्यकारी समिति की शक्तियां तथा कृत्य.

७. सदस्य-सचिव की शक्तियां तथा कृत्य.

अध्याय—चार

प्रकीर्ण.

८. लेखे तथा संपरीक्षा.

९. कठिनाइयों का दूर किया जाना.

१०. नियम बनाने की शक्ति.

११. विनियम बनाने की शक्ति.

१२. निधि का उत्तराधिकारी.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, २०१२.

[दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

राज्य में, राजमार्गों और अधोसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक निधि स्थापित करने तथा उक्त निधि का प्रशासन करने के लिए और निधि द्वारा वित्तपोषित कार्यकलापों को मॉनीटर करने और उनका पर्यवेक्षण करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, २०१२ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन सरकार द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित;

(ख) ''कार्यकारी समिति'' से अभिप्रेत है धारा ५ के अधीन गठित कार्यकारी समिति;

(ग) ''रियायत अनुबंध'' से अभिप्रेत है, ऐसा अनुबंध जो रियायतग्राही तथा प्राधिकरण के बीच या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किसी संवैधानिक निकाय के बीच कोई अनुबंध जिसके द्वारा रियायतग्राही किसी सड़क या अधोसंरचना सुविधा को वित्तपोषित, निर्मित, संधारित और संचालित करता है;

(घ) ''रियायतग्राही'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसके साथ प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किसी संवैधानिक निकाय द्वारा कोई रियायत अनुबंध किया गया है;

(ङ) ''निर्माण'' में सम्मिलित है, नया निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, मरम्मत और/या संधारण;

(च) ''विकास व्यय'' से अभिप्रेत है, किसी सड़क या अधोसंरचना सुविधा परियोजना के विकास पर, उसे क्रियान्वयन हेतु किसी व्यक्ति को देने के पूर्व उपगत लागत, और उसमें डाटा संग्रहण, व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन या व्यवहार्यता अध्ययन पर उपगत व्यय सम्मिलित है;

(छ) ''निधि'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि;

(ज) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) ''राजमार्ग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ (क्रमांक ११ सन् २००५) की धारा ३ के अधीन राजमार्ग के रूप में घोषित कोई सड़क, मार्ग या भूमि और उसमें सम्मिलित है,—

(एक) राजमार्ग के प्रयोजन के लिए अर्जित की गई राजमार्ग से अनुलग्न समस्त भूमि चाहे वह सीमांकित हो या न हो;

(दो) ऐसी सड़कों पर या उसके आरपार निर्मित समस्त पुल, पुलियाएं, सुरंगें, सेतुक, वाहन मार्ग तथा अन्य संरचनाएं; और

(तीन) ऐसी सड़कों पर के सभी वृक्ष, रेलिंग, बाड़, खंभे, रास्ते, संकेत (चिन्ह), संकेतक, किलोमीटर स्टोन तथा अन्य सड़क सज्जा या सहायक उपकरण तथा सामग्री;

(ञ) ''अधोसंरचना परियोजनाओं'' से अभिप्रेत है, अधोसंरचना के निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाएं जिसमें राजमार्ग सम्मिलित हैं;

(ट) ''व्यक्ति'' में सम्मिलित है कोई निगमित निकाय, कोई कम्पनी, कोई फर्म या व्यक्तियों का कोई संगम चाहे वह निगमित हो या न हो;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) ''प्रीमियम'' से अभिप्रेत है, रियायतग्राही द्वारा, प्राधिकरण को, परियोजना की बोली लगाते समय निर्धारित की गई देय रकम;

(ढ) ''विनियम'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम;

(ण) ''नियम'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियम;

(त) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

अध्याय—दो
मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि

निधि की स्थापना.

३. (१) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जाएगी.

(२) निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) प्राधिकरण प्रभारों अथवा प्राधिकरण द्वारा वहन किए गए प्रत्यक्ष खर्चों की प्रतिपूर्ति जो कि संबंधित परियोजना के लिए प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के व्यय हों, को छोड़कर, राजमार्गों के विनिर्माण या संधारण के लिए केन्द्र सरकार से सीधे प्राप्त समस्त धन;

(ख) अंशदान या अनुदान या ऋण या अग्रिम यदि वह राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से निधि में जमा किया गया हो;

(ग) रियायत अनुबंध के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किए गए प्रीमियम के समस्त भुगतान;

(घ) निधि के निवेश से प्राप्त समस्त आगम;

(ङ) रियायतग्राहियों या बोली लगाने वालों के व्यतिक्रम के लिए प्राधिकरण द्वारा चालान प्रतिभूति के या बोली की प्रतिभूति के नगदीकरण के आगम;

(च) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन निधि में जमा कराए जाने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य रकम;

(ज) खण्ड (क) से (च) तक में वर्णित शीर्षों से संबंधित प्राधिकरण के खातों में, पहले से ही जमा राशि निधि का प्रारंभिक अंश होगी;

(३) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट तथा निधि का अंश बनने वाले समस्त धन, किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में या ऐसी अन्य वित्तीय संस्था में, पृथक् खाते में जमा किए जाएंगे, जिसे कि कार्यकारी समिति विनिश्चित करे और उक्त खाता कार्यकारी समिति के सदस्य-सचिव द्वारा ऐसी रीति में संचालित किया जाएगा जैसी कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परन्तु सदस्य-सचिव, ऐसी किसी राशि का, जिसका कि तत्काल उपयोग अपेक्षित न हो, ऐसी प्रतिभूतियों या डिबेंचरों में निवेश कर सकेगा जिन्हें कि कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए.

निधि का उपयोग.

४. निधि में जमा रकम का निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) प्राधिकरण की ओर से किसी राजमार्ग या अधोसंरचना परियोजनाओं के संबंध में, किसी रियायतग्राही को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए;

(ख) किसी राजमार्ग या अधोसंरचना परियोजना के विकास व्यय को पूरा करने के लिए;

(ग) कार्यकारी समिति के प्रशासकीय खर्चों को चुकाने के लिए;

(घ) राजमार्गों के संधारण तथा उनकी मरम्मत के लिए;

(ङ) परियोजना तैयार करने, निविदा पूर्व कार्यकलापों, उपयोगी वस्तुएं स्थानांतरित करने में हुए व्यय तथा भू-अर्जन के लिए;

(च) इस अधिनियम या मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, २००४ (क्रमांक ११ सन् २००५) के अधीन प्राधिकरण को, राज्य में राजमार्गों के विकास तथा संधारण के लिए किए गए विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रभारों के भुगतान के लिए.

अध्याय—तीन

कार्यकारी समिति का गठन, संघटन, शक्तियां और कृत्य

कार्यकारी समिति का गठन तथा संघटन.

५. (१) निधि के प्रशासन के लिए एक कार्यकारी समिति गठित की जाएगी.

(२) कार्यकारी समिति निम्नलिखित पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जो कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) भारसाधक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग;

(ग) भारसाधक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग;

(घ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम-सदस्य सचिव.

(३) कार्यकारी समिति ऐसे समय तथा ऐसे स्थान पर बैठक करेगी जैसा कि कार्यकारी समिति का अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार जिनमें गणपूर्ति भी सम्मिलित है, के संबंध में, प्रक्रिया संबंधी ऐसे नियमों का पालन करेगी, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(४) कार्यकारी समिति की किसी बैठक में समस्त विषय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे.

कार्यकारी समिति की शक्तियां तथा कृत्य.

६. कार्यकारी समिति की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे उपाय करना जो कि राजमार्ग और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए निधियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक हों.

(ख) निधि से वित्तपोषित होने वाली राजमार्ग तथा अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के लिए निधियां स्वीकृत करना.

सदस्य-सचिव की शक्तियां तथा कृत्य.

७. सदस्य-सचिव—

(क) कार्यकारी समिति द्वारा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ख) कार्यकारी समिति द्वारा दिए गए आदेश को कार्यान्वित करने के लिए निधि को प्रशासित करेगा.

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

लेखे तथा संपरीक्षा.

८. (१) कार्यकारी समिति, निधि के संबंध में, ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य बहियां संधारित करवाएगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण तथा तुलनपत्र ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, तैयार करवाएगी.

(२) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा, ऐसे संपरीक्षक द्वारा कराई जाएगी जिसे कार्यकारी समिति नियुक्त करे.

(३) संपरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखाओं को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष, सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और वह उसे प्रतिवर्ष विधान सभा के समक्ष रखवाएगी.

कठिनाइयों का दूर किया जाना.

९. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती हो, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जैसी भी आवश्यकता हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से अन्‌असंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन, कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

नियम बनाने की शक्ति.

१०. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे—

(क) कार्यकारी समिति के कार्यकरण हेतु प्रक्रिया तथा उसकी बैठकों का संचालन;

(ख) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

११. कार्यकारी समिति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से विनियम बना सकेगी.

निधि का उत्तराधिकारी

१२. निधि के विघटन की दशा में, सरकार, विघटन के समय निधि में जमा समस्त आस्तियों की उत्तराधिकारी होगी.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 2470-164-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2012

THE MADHYA PRADESH RAJMARG NIDHI ADHINIYAM, 2012

TABLE OF CONTENTS

Section's :

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

MADHYA PRADESH HIGHWAY FUND

3. Establishment of Fund.
4. Utilization of Fund.

CHAPTER III

CONSTITUTION, COMPOSITION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

5 Constitution and composition of the Executive Committee.
6. Powers and functions of the Executive Committee.
7. Powers and functions of the Member Secretary.

CHAPTER IV
MISCELLANEOUS

8. Accounts and audit.
9. Removal of difficulties.
10. Power to make rules.
11 . Power to make regulations.
12. Successor of the Fund.

MADHYA PRADESH ACT
No. 18 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH RAJMARG NIDHI ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 20th April, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th April, 2012.]

An Act to provide for the establishment of a Fund for investments in the highways and infrastructure projects of the State and to provide for administration of the said fund and to monitor and supervise the activities financed from the Fund and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajmarg Nidhi Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint. '

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Authority" means the Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited established by the Government under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(b) "Executive committee" means the Executive Committee constituted under Section 5;

(c) "Concession Agreement" means agreement between the concessionaire and Authority or a statutory body specifically authorized by the State Government for the purpose whereby the concessionaire undertakes to finance, construct, maintain and operate a road or infrastructure facility;

(d) "concessionaire" means a person with which a concession agreement is entered into by the authority or a statutory body specifically authorised by Government for the purpose;

(e) "construction" includes new construction, reconstruction, rehabilitation, repair and/ or maintenance;

(f) "development cost" means initial cost incurred on the development of any road or infrastructure facility project before it is offered to a person for implementation and includes cost incurred on data collection, pre-feasibility studies or feasibility studies;

(g) "Fund" means the Madhya Pradesh Highway Fund established under section 3;

(h) "Government" means the Government of Madhya Pradesh:

(i) "Highway" means any road, way or land declared as highway under section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), and includes—

(i) all land appurtenant to Highway, whether demarcated or not, acquire for the purpose of the Highway;

(ii) all bridges, culverts, tunnels, causeways, carriageways and other structure constructed on or across such roads; and

(iii) all trees, railings, fences, post paths, signs, signals, kilometer stone and other road furniture or accessories and Material on such roads;

(j) "infrastructure projects" means projects for construction of infrastructure undertaken by authority including highways;

(k) "person" includes a body corporate, a company, a firm or an association of individuals whether incorporated or not;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "premium" means amount payable by concessionaire to the Authority determined at the time of bidding of the project;

(n) "regulations" means regulations made by the Authority under this Act; (0) "rules" means rules made by the Government under this Act;

(p) "state" means the State of Madhya Pradesh;

CHAPTER II

MADHYA PRADESH HIGHWAY FUND

Establishment of Fund.

3. (1) There shall be established a Fund to be called the Madhya Pradesh Highway Fund.

(2) There shall be credited to the Fund—

(a) all moneys received from the Central Government for construction or maintenance of Highways directly to the Authority except the Authority charges or the reimbursement of direct costs incurred by the Authority which is towards the day-to-day expenditure of Authority for the concerning project;

(b) the contribution or grant or loan or advance if specifically credited to Fund by the State;

(c) all payments of .premium made by the concessionaire as per the concession agreement to Authority;

(d) all returns on investments made out of the Fund.

(e) proceeds towards encashment of performance security or bid security by Authority for default of concessionaires or bidders;

(f) any other amount authorised for credit to the Fund under the provisions of this Act or rules made thereunder or any other law for the time being in force;

(g). amount already standing as a credit in the accounts of Authority pertaining to the heads mentioned in clause (a) to (f) shall form the initial corpus of the Fund.

(3) All moneys specified in sub-section (2) and forming part of the Fund shall be deposited in a separate account in any nationalised or scheduled Bank, or in such other financial institution as may be decided by the Executive Committee and the said account shall be operated by the Member Secretary of the Executive Committee in such manner as may be specified by regulations:

Provided that the Member Secretary may invest any sum not required for immediate use in such securities or debentures as may be approved by the Executive Committee.

Utilization of Fund

4. The amount standing to the credit of the Fund may be utilised for all or any of the following purposes, namely:—

(a) for providing financial assistance to a concessionaire on behalf of Authority in respect of a Highway or infrastructure projects;

(b) for meeting any development cost of highway or infrastructure project;

(c) for defraying the administrative expenses of the Executive Committee;

(d) for maintenance and repair of highways;

(e) for project preparation, pre tender activities, cost towards utility shifting, land acquisition;

(f) for payment of charges to Authority for various activities performed under, this Act or under the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), for development and maintenance of the highways in the State.

CHAPTER III

CONSTITUTION, COMPOSITION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Constitution and composition of the Executive committee.

5. (l) There shall be constituted an Executive Committee for administration of the Fund.

(2) The Executive Committee shall consist of the following ex-officio members namely:—

(a) the Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh who shall be the Chairman of the Executive Committee;

(b) the Secretary in-charge, Government of Madhya Pradesh, Finance Department;

(c) the Secretary In-charge, Government of Madhya Pradesh, Public Works Department;

(d) Managing Director, Madhya Pradesh' Road Development Corporation - Member Secretary.

(3) The Executive Committee shall meet at such time and place as the Chairman of the Executive Committee may decide and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of business at their meetings including quorum as may be prescribed by regulations.

(4) All matter in a meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the members present and voting.

Powers and functions of the Executive Committee.

6. The Executive Committee shall have the following powers and functions, namely: —

(a) to take such measures as may be necessary to raise funds for highway and infrastructure projects;

(b) to sanction funds for construction of Highway and other infrastructure projects to be financed out of the Fund.

Powers and functions of the Member Secretary.

7. The Member Secretary shall—

(a) discharge functions assigned by the Executive Committee.

(b) administer the Fund for carrying out the mandate given by the Executive Committee.

CHAPTER IV MISCELLANEOUS

Accounts and audit.

8. (1) The Executive Committee shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to the Fund and prepare an annual statement of accounts and balance sheet in such form and in such manner as may be specified in the regulations.

(2) The accounts of the Fund shall be audited by such auditor appointed by the Executive Committee.

(3) The accounts of the Fund as certified by the auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government and it shall cause the same to be laid annually before the Legislative Assembly.

Removal of difficulties.

9. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, as occasion may require, by order, do anything not inconsistent with this Act or the rules made thereunder, which appears to them necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the lapse of two years from the date of commencement of this Act.

Power to make rules.

10. (1) The Government may, by notification in the Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for :—

(a) the procedure for functioning of the Executive Committee and conduct of its meetings;

(b) any other matter which is required to be, or may be. prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.

Power to make regulations.

11. The Executive Committee may. by notification in the Gazette, make regulations for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

Successor of the fund.

12. In the event of dissolution of the Fund, the Government shall be successor of all assets standing in the credit of the Fund at the time of dissolution.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.